ल सूचना अधि. सं0 67/2016 अनवानी श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री लछमण सिंह गांव ाड़ेवाला डा0 बहमन दीवाना जिला बठिंडा बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
67/16
A3/1

21.09.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सतपाल सिंहा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखड अधिकारी रायसिंहनगर स्वयं एवं उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सतपाल सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः—

> चक न0 23 ए.एस. का ईन्तकाल न0 8 में वर्णित उपखण्ड अधिकारी महोदय, रायसिंहनगर द्वारा दिये गये आदेश क्रमांक 1966 दिनांक 27.03.1991 की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि तथा मूल पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि दी जावे।

अपीलार्थी श्री सतपाल सिंह ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से चक 23 ए.एस. की 72 बीघा 02 विस्वा कमाण्ड भूमि के एसडीएम घड़साना के आदेश न0 1966 दिनांक 27.03.91 जो कि तहसीलदार अनूपगढ़ घड़साना को जारी करके उक्त भूमि की खातेदारी अमर सिंह राजवी, सुरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, नरपतसिंह वगैरा के नाम करने के लिये जारी किये गये की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि चाही गई थी जो उनके द्वारा उसे उपलब्ध नही करवाई गई है और अपीलीय अधिकारी की जानकारी भी जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है। उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जावे व प्रत्यर्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे एवं उनसे क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 734 दिनांक 06/10.05.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्र सं0 815 दिनांक 27.04.2016 से उन्हे प्राप्त हुई है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में आदेश क्रमांक 1966 दिनांक 27.03.1991 की प्रमाणित प्रति चाही है। उक्त आदेश से संबंधीत रिकार्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड में तलाश करने पर आदेश दिनांक 27.03.1991 संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ है। प्रार्थी के आवेदन पत्र में मिसल संख्या व निर्णय दिनांक अंकित नही है। उक्त चक तहसील घड़साना के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना **उपखण्ड अधिकारी घड़साना/अनूपगढ के कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।**

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से आदेश क्रमांक 1966 दिनांक 27.03.1991 की सत्य प्रतिलिपि चाही थी जिसका अंकन चक 23ए.एस. के ईन्तकाल संख्या 8 के कॉलम सं0 13 में निम्न प्रकार से अंकन किया गया हैः—

> **हुक्मन**
> उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर के आदेश क्रमांक 1966 दिनांक 27.08.1991 तथा तहसील आदेश क्रमांक भू0अ0/91/842 दिनांक 01.09.91 आदेश चस्पा है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त ईन्तकाल की प्रतिलिपि राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल 3 एसटीआर द्वारा जारी की गयी है कि जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त अभिलेख तहसील, घड़साना में है। जबकि यह अपील अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के विरूद्ध पेश की गयी है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्त सूचना के संबंध में पत्र कमांक 482 दिनांक 16.03.2016 के द्वारा सूचित किया था कि रिकार्ड उपलब्ध नही हो रहा है इसलिए उक्त आदेश की फौटो प्रति या मिसल न0, अनवान आदि का विवरण उपलब्ध करावें। पत्रावली में तहसीलदार घड़साना का पत्र सं0 842 दिनांक 01.05.91 की फौटो प्रति उपलब्ध है जो उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्र कमांक 1966 दिनांक 27.03.91 के सन्दर्भ में है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.05.2016 के द्वारा इस न्यायालय व अपीलार्थी को सूचित किया है कि उक्त आदेश से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नही हो रहा है। चाही गई सूचना का क्षेत्र चक 23 ए.एस. तहसील घड़साना के क्षेत्राधिकार का है। इसलिए चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी घड़साना/अनूपगढ़ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार चाही गई सूचना का संबंध तहसील घड़साना से है और वर्तमान में यह क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी घड़साना के अधीन है। इसलिए अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के पत्र 10—05—2016 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी घड़साना/अनूपगढ़ के कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर